इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2065
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।
22 माघ, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक निर्यात संवर्धन केंद्र की स्थापना

2065. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारत की वित्तीय राजधानी, प्रमुख पत्तन केन्द्र और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में मुंबई शहर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुंबई में एक समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संवर्धन केन्द्र (ईईपीसी) स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना, अवसंरचना के निर्माण और प्रचालन के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा सहायता अनुदान की राशि कितनी है और वर्ष-वार बजटीय आवंटन कितना-कितना है;
(ग) मुम्बई और महाराष्ट्र के व्यापक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप की भागीदारी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और रोजगार सृजन में वृद्धि के संदर्भ में प्रस्तावित केन्द्र के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;
(घ) क्या केन्द्र और इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के अनुमोदन और कमीशनिंग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ङ) यदि नहीं, तो निर्यात संभारतंत्र, वित्त तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुंबई की रणनीतिक बढ़त के बावजूद विलंब के क्या कारण हैं; और
(च) भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र में इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, घटकों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1989 में स्थापित एक निर्यात संवर्धन निकाय है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

ईएससी का मिशन भारतीय आईसीटी उद्यमों के वैश्विक विकास निम्नलिखित द्वारा बढ़ावा देना है:

- सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी-सक्षम सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- प्रदर्शनियों, बी2बी बैठकों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से वैश्विक बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
- भारत सरकार के समक्ष नीतिगत समर्थन की हिमायत करना और उद्योग हितों का प्रतिनिधित्व करना।
- सदस्यों को प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए अंतर्दृष्टि, संसाधन और मंच प्रदान करना।

ईएससी मार्केट इंटेलिजेंस, व्यापार सुविधा, नीति समर्थन, क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां और निर्यात अनुपालन सहायता प्रदान करके निर्यातकों की सहायता करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर निर्यात मामलों पर उद्योग और सरकार के बीच नोडल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। परिषद को पूरे देश में निर्यातकों की सहायता करने का काम सौंपा गया है।

सरकार मानती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात की वृद्धि भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दिशा में, सरकार भारतीय निर्यातकों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और कुछ योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान करती है, जिसमें नए अवसरों का पता लगाने, व्यापार संबंधी मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए संवर्धन परिषद, विदेशी सरकारों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित रूप से द्विपक्षीय संस्थागत प्रक्रिया बैठकें आयोजित की जाती हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स के भारतीय निर्यातों में वृद्धि होती है।

माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले 11 वर्षों में कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं:

- सेमीकॉन भारतीय कार्यक्रम
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017
- टैरिफ तंत्र को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

इन पहलों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि

*****